(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/1653 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.03.2017 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 39/अपील/14-15.

---

1. सरगुन सिंह आ. नरेन्द्र
   निवासी ग्राम हतनोरा, खेड़ा रोड, आमला
   जिला बैतूल, म.प्र.
2. देवी सिंह आ. श्री टेटू सिंह राजपूत
3. गंगा सिंह आ. श्री टेटू सिंह राजपूत
4. गया सिंह आ. श्री टेटू सिंह राजपूत
5. उमा पत्नी श्री सुख सिंह पिता श्री टेटू सिंह राजपूत
6. धन सिंह आ. श्री कुन्दन सिंह
   क्र. 2 लगा. 6 निवासी ग्राम सेमझिरा
   तहसील मुलताई
7. सुरजन सिंह आ. श्री नरेन्द्र सिंह
   निवासी वार्ड नं. 8, आमला, जिला बैतूल
8. ताराबाई पिता श्री नरेन्द्र सिंह
   निवासी चन्द्रशेखर वार्ड, बैतूल, जिला बैतूल
9. मल्ला बाई पिता श्री नरेन्द्र सिंह
   निवासी ग्राम कान्हाबघोली,
   तह. मुलताई, जिला बैतूल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्री मदन सिंह आ. श्री राम सिंह
   निवासी ग्राम सेमझिरा, तह. मुलताई, जिला बैतूल
2. मानसिंह आ. श्री नान्हू सिंह
   निवासी ग्राम सेमझिरा, तह. मुलताई,

जिला बैतूल

3. प्रताप सिंह आ. श्री नान्हू सिंह
   निवासी ग्राम पथेराटा, आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास,
   इटारसी, जिला होशंगाबाद
4. सुलोचना पिता श्री नान्हू सिंह
   निवासी ग्राम पथेराटा, आर्डिनेंस फैक्ट्री के पास,
   इटारसी, जिला होशंगाबाद
5. लाखन सिंह आ. श्री टेटू सिंह
   निवासी ग्राम सुकाखेड़ी, तह. मुलताई
   जिला बैतूल, म.प्र.

.....अनावेदकगण

श्री आनंद शर्मा, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अनिल चंद्रोकर, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1 व 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 30.03.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक श्री सरगुन सिंह ने तहसीलदार, मुलताई के समक्ष संहिता की धारा 178 का आवेदन प्रस्तुत किया कि ग्राम सेमझिरा प.ह.नं. 20 में स्थित कृषि भूमि खाता क्रमांक 352, खसरा क्रमांक 427, 440, 450, 456, 458, 504/1, 624, 630 जुमला रकबा 6.773 हैक्टेयर भूमि जो कि सम्मिलित खाते मे दर्ज है। उपरोक्त वर्णित कुल कृशि भूमि का आवेदक एवं अनावेदकगण क्र. 1 से 5 के व्यक्तियों के पिता स्व. श्री टेंटूसिंह, स्व. श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री धनसिंह के मध्य काफी लंबे वर्ष पूर्व आपसी बंटवारा उनके जीवित अवधि में पंचों के समक्ष मौके पर हो चुका था। तब से अनावेदकगण क्र. 1 से 5 तक के वारसान अपने-अपने हिस्से के मुताबिक काबिज कास्त करते हुए चले आ रहे हैं। रिकॉर्डेड बंटवारा नहीं हुआ है। आवेदक द्वारा मौके पर कब्जा के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अपना बंटवारा का आवेदन पेश करने

पर तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 63/अ-27/11-12 दर्ज कर प्रकरण में सुनवाई उपरांत दिनांक 04.05.2013 को आदेश पारित किया गया, उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, मुलताई के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 14.11.2014 को आदेश पारित कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार का आदेश दिनांक 04.05.2013 निरस्त कर रिकॉर्ड पूर्ववत् करने के आदेश पारित किये गये। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। आयुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2017 को आदेश पारित कर द्वितीय अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) तहसीलदार का आदेश, जिसमें अनावेदक पक्ष की आपत्ति अनुसार निष्कर्ष दिये गये पूर्णत: विधि विपरीत है, क्योंकि उक्त प्रस्तुत आपत्ति के संबंध में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था, अस्तु अप्रमाणित आपत्ति के आधार पर बंटवारा किया जाना वैधानिक भूल रही है।

(2) तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध जो अपील प्रस्तुत की गई थी, उसे आंशिक रूप से स्वीकार किया गया, लेकिन उक्त अपील आंशिक स्वीकार होनें के उपरांत आवेदक को क्या अनुतोष प्रदान किया गया, वह प्रमाणित नहीं है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था, उक्त आदेश विधिक बंधन एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत था।

(3) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश से आवेदक को न्याय नहीं मिल सका, तब ऐसी स्थिति में द्वितीय अपील में आयुक्त को हस्तक्षेप कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने थे, ऐसा न करते हुए आयुक्त द्वारा भी भूल की गई है।

(4) सभी न्यायालय ने संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को सही तरह से नहीं समझा, उनका सूक्ष्म परिशीलन नहीं किया गया, अस्तु सभी आदेश निरस्तीं योग्य हैं, जिस प्रकार से प्रकरण में अनावेदक पक्ष ने स्वत्व का प्रश्न उठाया था, ऐसी स्थिति में अनावेदक पक्ष को ही अपना स्वत्व सक्षम न्यायालय से निराकृत कराना था, जो न करते हुए गंभीर भूल की थी। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालयों ने विपरीत निष्कर्ष देकर गंभीर भूल की है।

(5) अधीनस्थ न्यायालयों ने अपुष्ट प्रकरण में विधि विरूद्ध आदेश पारित किये हैं और उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों ने पुष्ट करते हुये गंभीर भूल की है।

(6) अधीनस्थ न्यायालयों ने फर्द बटान के संबंध में गलत निष्कर्ष देकर आदेश पारित किये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जो फर्द बटान प्रस्तुत की गई है, उसका सूक्ष्म परिशीलन नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन सभी आदेश निरस्ती योग्य हैं।

(7) सभी अधीनस्थ न्यायालयों ने आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्क एवं विधि की सही-सही व्याख्या न करते हुए आदेश पारित किये हैं, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक क्र. 2, 3 एवं 4 के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। अनावेदक क्र. 1 व 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जो कि स्थिर रखे जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नांकित भूमि के समस्त सहखातेदारों के मध्य फर्दबटान स्वत्व के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। फर्दबटान पर समस्त सहखातेदारों के सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी नहीं हैं। साथ ही अनावेदक क्र. 1 मदनसिंह द्वारा तहसील न्यायालय में शपथपूर्वक कथन में यह स्वीकार किया है कि गोपीबाई विधवा रामसिंह के शामिलात खाते में नाम होने के कारण प्रश्नांकित पैतृक भूमि में अपना किसी भी प्रकार का हक नहीं चाहता है, उसका नाम इस खसरा नम्बरों में से निरस्त कर दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना स्वीकार किया है। अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर विधिसंगत आदेश पारित किया है, जिसकी पुष्टि आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त के समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनंद स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.03.2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.11.2014 स्थिर रखे जाते हैं। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर